

कुलाबिक, श्रीमान श्री नाम दिलवाडा के खाता नं० 34, 35, 158, 159 में नं० सं० 443 में मेवरलाल उर्फ लाला, फाति फाट डी विराफ में तकनीकी सुविधा के कंचन देवी पति मेवरलाल, दिलपुत्र पुत्र मेवरलाल, गणुलाल पुत्र मेवरलाल दर्ज है।
इसको सुविधा करते हुए कंचन देवी पति मेवरलाल उर्फ लालाराण, दिलपुत्र पुत्र मेवरलाल उर्फ लालाराण, गणुलाल पुत्र मेवरलाल उर्फ लालाराण रुंलपुत्र 45-तावेन, भद्रा सजरा, हलपुत्राण पत्र के आधार पर सुविधा दिया जाता उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के नाम दिलवाडा के खा. नं० 34, 35, 158, 159 में मेवरलाल उर्फ लाला आदि जाण की विराफ में तकनीकी सुविधा से कंचन देवी पति मेवरलाल दर्ज हुई है, जिसे मेवरलाल उर्फ लालाराण पर दुरुस्त दिशा जाना उचित है।
10.10.25
102 दिलवाडा

तहसीलदार की रिपोर्ट
पं० ६० की रिपोर्ट व भू. अ. नि. की जांच के आधार पर दुरुस्ती की जाने की आवश्यकता की जाती है।

2025
771
क्रमांक/451

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद
दिनांक:- 27-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्बन्धित के खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	जवाहर मे	इन्द्राज	दुरुस्ती सिद्ध	नवी यो		
	के कलक	जवाहर	स्वीकृत किया जाता है			

क्र. सं. नं० :- 5840-41 दिनांक:- 27-10-25
प्रभारी अधिकारी :- (1) TDR NSD
(2) आदेश पत्रावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर

